



बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

विकसित बिहार के 7 निश्चय

Advt. No. - SPMU/01/2025

Date : 20 Feb, 2025

विभाग द्वारा प्रकाशित सूचना Advt.No-spmu/03/2024 दिनांक-18.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार राज्य अविस्थात निझी संस्थानों के लिए जो मानक निर्धारण की गई थी, उसकी कंडिका-1 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "MNSSBY पोर्टल के समानांतर संस्थानों के लिए एक अन्य पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। वैसे सभी संस्थान जिनके द्वारा अब तक NAAC के लिए आवेदन नहीं किए गए हैं। वैसे सभी संस्थान उस पोर्टल पर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए विहित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करवायें। यह जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना उनके लिए अनिवार्य होगा।"

इस प्रकाशित सूचना के आधार पर विभाग द्वारा बिहार राज्य अवस्थित सभी निझी संस्थानों के लिए एक नूतन पोर्टल यथा-<https://bsccbihar-liqa.bihar.gov.in> बनाई गई है। उक्त पोर्टल पर बिहार राज्य अवस्थित संस्थानों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित कार्य किया जाना है:-

- i) MNSSBY पोर्टल पर पूर्व से अंकित संस्थानों के साथ साथ नए संस्थान/महाविद्यालयों को विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए नूतन पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- ii) नूतन संबंद्धता प्राप्त संस्थानों को MNSSBY पोर्टल पर इस योजना से जोड़ने से पूर्व इस पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- iii) सभी संस्थान का अपना Website होना अनिवार्य है जिसमें संस्थान के संबंद्धता, Faculty, Placement, Course wise fee(without hidden fees), Syllabus, Examination Curriculum, Student details, Student's feedback इत्यादि की विवरणी होना अनिवार्य है।
- iv) नूतन पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु संस्थानों को AISHE Code के माध्यम से पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
- v) पूर्व से MNSSBY पोर्टल पर अंकित संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सत्र-2025-26 से योजना का लाभ तक नहीं प्राप्त हो पायेगा जब तक कि पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थानों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सूचना की समीक्षाप्राप्त विभागीय आदेश प्राप्त ना हो जाए।
- vi) NAAC के न्यूनतम ग्रेड-C अथवा NIRF के वार्षिक रेकिंग में संस्थान के नाम अथवा NBA द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों से संबंद्धता प्राप्त संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं हैं परन्तु उक्त संस्थानों के लिए इस विज्ञापन में वर्णित कंडिका-3 के बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य है।

प्रभारी पदाधिकारी,
SPMU, BS SCC

अधिकारी सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना